फर्द अहकाम

गोपीचन्द बनाम नाथू वगै.

नाम न्यायालय :– उपखण्ड अधिकारी फागी

मिसल संख्या:– 67/2020

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप में	विशेष विवरण
18/12/25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील आदेश सुनाया जाता है। वादी का वाद मुताबिक नक्शा-कुर्रेजात अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित किया गया जिसे शामिल मिसल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रं.से कम हो दाखिल दफ्तर रहे। उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बरः– 67/2020
निर्णय दिनांकः– 18.12.2025
पीठासीन अधिकारी– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

1. गोपीचन्द पुत्र नाथूलाल जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी रामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0।

बादी

बनाम

1. नाथूलाल पुत्र सुरजमल जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी रामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0।
2. हरिनारायण पुत्र सुरजमल जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी रामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0।
3. तहसीलदार फागी जिला जयपुर राज0।
4. सब रजिस्ट्रार फागी जिला जयपुर, राज0।

प्रतिवादीगण

वाद तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर. टी. एक्ट.

उपस्थित अधिवक्ताः– श्री उदयसिंह चौधरी अधिवक्ता वादी
श्री भोजराजसिंह राजावत अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः– 18.12.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम नीमेडा के सम्बन्ध मे दिनांक 24.01.2025 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री किया जाकर तहसीलदार फागी को निर्णय व डिक्री की प्रति भेजकर नक्शा व कुर्रेजात दो दो प्रतियों में भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार फागी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/भू. अ./25/4701 दिनांक 01.12.2025 के द्वारा नक्शे – कुर्रेजात प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत नक्शा व कुर्रेजात का अवलोकन वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण को कराया गया। वकील वादी ने नक्शा कुर्रेजात पर कोई आपत्ति प्रकट नही की। बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने मुताबिक नक्शा कुर्रेजात दावा अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने मुताबिक नक्शा – कुर्रेजात डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

अतः तहसीलदार फागी द्वारा भिजवाये गये नक्शा कुर्रेजात को गलत मानने का कोई आधार नही है। वादी का वाद मुताबिक नक्शा – कुर्रेजात अन्तिम डिक्री किया जाना उचित है।

अतः वादी का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है तथा इसी अनुसार लगान फेटबन्दी किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक निर्णय डिक्री पर्चा जारी हो। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

	नाम खातेदार मय वल्दियत	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
I.	गोपीचन्द पुत्र नाथूलाल हि0 पूर्ण जाति बागडा ब्राहम्ण सा0 रामपुरा तहसील सांगानेर खातेदार	1441 / 3 / 2	0.8851		
	योग	किता 1	0.8851		
II. 1	नाथूलाल पुत्र सूरजकरण हि0 1/2 जाति बागडा ब्राहम्ण सा0 रामपुरा तह0 सांगानेर खातेदार	1441 / 3 / 1	0.8852		
2.	हरिनारायण पुत्र सूरजकरण शर्मा हि0 1/2 जाति बागडा ब्राहम्ण सा0 रामपुरा तह0 सांगानेर खातेदार				
	योग	किता 1	0.885		

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

गोपीचन्द बनाम नाथूलाल वगैरह
मुकदमा– 07/2020
निर्णय दिनांक– 18.12.2025

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत– उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बाइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

उनवान

1. गोपीचन्द पुत्र नाथूलाल जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी रामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0।

वादी

बनाम

1. नाथूलाल पुत्र सुरजमल जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी रामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0।
[redacted]रिनारायण पुत्र सुरजमल जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी रामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0।
3. तहसीलदार फागी जिला जयपुर राज0।
4. सब रजिस्ट्रार फागी जिला जयपुर, राज0।

प्रतिवादीगण

-:- वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा -:-

मुकदमा– 07/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल मन्जूई रूबरू वकील वादी श्री उदयसिंह चौधरी हाजिर रूबरू वकील प्रतिवादीगण श्री भोजराज सिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है तथा इसी अनुसार लगान फेंटबन्दी किये जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा – कुरेजात निर्णय डिक्री के पार्ट होगें।

निज......×........मुबलिग ×

बाबत ×

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह × फीसदी ×

सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ...... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.12.2025 को जारी की गई।

दस्तखत ________

ओहदा ________

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बवत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

गोपीचन्द बनाम नाथूलाल वगै0
मु0नं0:- 67/2020
निर्णय दिनांक:- 18.12.2025

		नाम खातेदार मय वल्दियत	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
I		गोपीचन्द पुत्र नाथूलाल हि0 पूर्ण जाति बागडा ब्राहम्ण सा0 रामपुरा तहसील सांगानेर खातेदार	1441/3/2	0.8851		
		योग	किता 1	0.8851		
II	1	नाथूलाल पुत्र सूरजकरण हि0 1/2 जाति बागडा ब्राहम्ण सा0 रामपुरा तह0 सांगानेर खातेदार	1441/3/1	0.8852		
	2.	हरिनारायण पुत्र सूरजकरण शर्मा हि0 1/2 जाति बागडा ब्राहम्ण सा0 रामपुरा तह0 सांगानेर खातेदार				
		योग	किता 1	0.8852		

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)